अपीलीय प्राधिकरण, (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – गौरव अग्रवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
025/2023(रा.अ.) (GCMS 2023/219)	07.08.2023	19.12.2023

अनवान

श्रीमती शीला पत्नी नरेन्द्र चौधरी, जाति चौधरी, उम्र वयस्क, निवासी बी–105, प्रतापनगर, चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

अपीलार्थी

बनाम

1. नरेन्द्रसिंह पिता हीरासिंह जाति चौधरी, उम्र वयस्क, निवासी बी 105, प्रतापनगर, चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2. हीरासिंह पिता गिरधारीलाल जाति चौधरी, उम्र वयस्क, निवासी बी 105, प्रतापनगर, चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
3. श्रीमती नानी देवी पत्नी हीरासिंह जाति चौधरी, उम्र वयस्क, निवासी बी 105, प्रतापनगर, चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) (**विलोपित**)

प्रत्यर्थीगण

उपस्थिति :– आरसी दशोरा — अपीलार्थी
प्रत्यर्थीगण स्वयं — प्रत्यर्थी संख्या 1, 2

अपील विरूद्ध निर्णय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (उपखण्ड अधिकारी) चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 002/2016 में पारित निर्णय दिनांक 14.10.2016 अंतर्गत धारा 4 व 5 अभिभावकों व वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण अपील अंतर्गत धारा 16 वरिष्ठ अभिभावकों व वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण अधिनियम 2007

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अपील अन्तर्गत धारा 16 (1) माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत विरूद्ध प्रत्यर्थीगण के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट का निर्णय न्याय, निर्णयों एवं वाकियाती तथ्यों के विपरित होकर निरस्त किये जाने योग्य है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट हीरासिंह व नानी देवी ने एक प्रार्थना–पत्र भरण पोषण हेतु नरेन्द्रसिंह व अपीलांट शीला के विरूद्ध प्रस्तुत किया जबकि हीरासिंह रेस्पोडेन्ट के दो पुत्र है जो नरेन्द्रसिंह व राजेन्द्रसिंह है। राजेन्द्रसिंह को

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया है, तथा हीरासिंह की एक पुत्री है उसे भी पक्षकार नहीं बनाया है। जबकि सम्पत्ति में सभी को हिस्सा बराबर–बराबर दे रखा है। अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली वास्ते तलबी हेतु 30.09.2016 को नियत थी और पत्रावली 14.10.2016 को नियत की गई थी। दिनांक 14.10.2016 को रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 ने आपसी दुर्भि–संधि करके जिस परिसर में अपीलांट निवास कर रही थी उसको खाली करवाने हेतु सहमति देकर पत्रावली में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 ने मिलाभगती से निर्णय पारित करवा लिया जबकि इस प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई हेतु कोई नोटिस/जमानती वारंट प्राप्त नहीं हुए है। इस प्रकार अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन कर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 ने आपसी मिलाभगती करके कुछ हिस्सेका अण्डर टेकिंग देकर अपीलांट के विरूद्ध निर्णय पारित करवा लिया जो न्यायिक सिद्धांतों के विपरित है। अपीलांट व रेस्पोडेन्ट के मध्य सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन है। अपीलांट व उसके पुत्र दीक्षांक चौधरी ने न्यायालय सिविल जज साहब के यहां मकान के हिस्से व बंटवाडे का दावा प्रस्तुत कर रखा है जो न्यायालय में विचाराधीन है। अपीलांट व रेस्पोडेन्ट के मध्य आपसी मुकदमेबाजी चल रही है। अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 पति पत्नी है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपीलांट का परित्याग कर रखा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से दुर्भि–संधि कर रखी है और रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 ने आपसी मिलाभगती करके अधीनस्थ न्यायालय में निर्णय पारित करवाया है। एक तरफा गुप्त रूप से बिना क्षेत्राधिकार के जो आदेश प्राप्त किया है वह विधि सम्मत नहीं है। किसी भी मकान भवन परिसर को खाली करवाने का अधिकार उपखण्ड मजिस्ट्रेट को नहीं है। यह अधिकार सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है। अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के मध्य आपसी पारिवारिक विवाद विचाराधीन है। अपीलांट को प्रताडित करने की नियत से दिनांक 14.10.2016 को रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 ने मिलाभगती करके अपीलांट के विरूद्ध निर्णय पारित करवाया है जिसकी जानकारी अपीलांट को नहीं हुई है। सर्वप्रथम उक्त एक तरफा निर्णय की जानकारी दिनांक 05.07.2023 को हुई उस दिन पुलिस चौकी सेंती के अधिकारी अपीलांट के मकान पर आये जहां अपीलांट निवास कर रही है, अपीलांट के निवास स्थल से खाली करने की हिदायत देने पर जानकारी हुई कि उक्त मामला न्यायालय से दिनांक 14.10.2016 को निर्णित हो चुका है। आदेश की पालना करने आये है इस पर उसी दिन अपीलांट ने नकल आवेदन प्रस्तुत किया, जो नकल दिनांक 19.07.2023 को प्राप्त हुई और जानकारी होते ही अपील तैयार करवा बिना किसी देरी से अपील प्रस्तुत की जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय में एकपक्षीय निर्णय हुआ जिसकी जानकारी अपीलांट को नहीं थी। अपीलांट को नोटिस भी तामिल नहीं हुए थे और जो देरी अपील प्रस्तुति में हुई है वह जानकारी के अभाव में हुई है जिसे क्षम्य किया जाना न्यायहित में आवश्यक एवं न्यायोचित है। अन्यथा अपीलांट न्याय से वंचित रह जायेगी, देरी को क्षम्य किये जाने हेतु धारा 5 कानून मियाद का आवेदन शपथ–पत्र के साथ अलग से पेश है। अंत में प्रार्थना की गई कि अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 14.10.2016 निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया जाकर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

इस पर अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख तलब किया गया एवं प्रत्यर्थी को जरिये नोटिस के तलब किया गया। दिनांक 29.08.2023 को प्रत्यर्थी संख्या 1

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

की अनुपस्थिति रिकार्ड की गई। दिनांक 19.09.2023 को प्रत्यर्थी संख्या 2 स्वयं हाजिर आये एवं आपत्ति प्रार्थना–पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। दिनांक प्रत्यर्थी संख्या 2 ने प्रार्थना–पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। दिनांक 28.11.2023 को अपीलार्थीया की और से स्थगन प्रार्थना–पत्र पेश किया जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/न्याय/2023/1205 दिनांक 19.12.2023 से मूल अभिलेख पत्रावली प्राप्त हुई है जो कि पत्रावली के हम किता होकर रिकार्ड पर है। दिनांक 12.12.2023 को प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 स्वयं हाजिर आये एवं प्रकरण में सीधे बहस पत्रावली का निवेदन किया एवं अवगत कराया गया कि प्रत्यर्थी संख्या 3 फौत हो चुके है। उभयपक्षकारान की सहमति से स्वीकरोक्ति के आधार पर प्रकरण से प्रत्यर्थी संख्या 3 का नाम विलोपित किये जाने का आदेश दिया गया। इसके पश्चात् उभयपक्षकारान की सहमति से प्रकरण में स्थगन प्रार्थना–पत्र पर कार्यवाही ड्रॉप की जाकर प्रकरण में बहस पत्रावली सुनी गई।

सर्वप्रथम विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस पत्रावली में प्रार्थना–पत्र बाबत् मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 के मध्य आपसी पारिवारिक विवाद विचाराधीन है। अपीलांट को प्रताडित करने की नियत से दिनांक 14.10.2016 को रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 ने मिलीभगती करके अपीलांट के विरूद्ध निर्णय पारित करवाया है जिसकी जानकारी अपीलांट को नहीं हुई है। सर्वप्रथम उक्त एक तरफा निर्णय की जानकारी दिनांक 05.07.2023 को हुई उस दिन पुलिस चौकी सेंती के अधिकारी अपीलांट के मकान पर आये जहां अपीलांट निवास कर रही है अपीलांट के निवास स्थान से खाली करने की हिदायत देने पर जानकारी हुई कि उक्त मामला न्यायालय से दिनांक 14.10.2016 को निर्णित हो चुका है। आदेश की पालना करने आये है इस पर उसी दिन अपीलांट ने नकल आवेदन प्रस्तुत किया जो नकल दिनांक 19.07.2023 को प्राप्त हुई और जानकारी होते ही अपील तैयार करवा बिना किसी देरी से अपील प्रस्तुत की जा रही है। अधीनस्थ न्यायायल में एक पक्षीय निर्णय हुआ जिसकी जानकारी अपीलांट को नहीं थी अपीलांट को नोटिस भी तामील नहीं हुए थे और जो देरी अपील प्रस्तुती में हुई है वह जानकारी के अभाव में हुई है जिसे क्षम्य किया जाना न्यायहित में आवश्यक एवं न्यायोचित है। अन्यथा अपीलांट न्याय से वंचित रह जायेगी।

हाजिर प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा मियाद के संबंध में किसी भी प्रकार से कोई कथन नहीं किया गया। इस पर हाजिर प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपीलार्थी के और से प्रस्तुत दस्तावेजात नकल आदेशिका उपखण्ड मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ के हस्तगत अपील के मूल प्रकरण संख्या 002/2016 निर्णय दिनांक 14.10.2016 काा अवलोकन कराया एवं बताया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 14.10.2016 को प्रत्यर्थी संख्या 1 नरेन्द्रसिंह की उपस्थिति में पारित किया गया है एवं अपीलार्थी प्रत्यर्थी संख्या 1 की पत्नी है जिससे अपीलाधीन निर्णय एवं आदेश की जानकारी अपीलार्थी को निश्चित तौर रही है इस कारण अपील अपीलार्थीया मियाद के बिन्दु पर पोषणीय नहीं होने से इसी आधार खारीज किये जाने योग्य है। इसी निवेदन के साथ प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपना मियाद के बिन्दु का कथन समाप्त किया। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने पत्रावली को अवलोकन किया। मियाद प्रार्थना–पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ–पत्र का अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस मियाद प्रार्थना–पत्र का मनन किया। प्रकरण में मियाद के साथ–साथ गुणावगुण पर भी देखा जाना उचित प्रतीत होता है, अतः प्रार्थना–पत्र के निर्णय को रिवर्ज करते हुये पत्रावली को गुणावगुण पर सुनने के आदेश दिये गये।

इस पर विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट का निर्णय न्याय, निर्णयों एवं वाकियाती तथ्यों के विपरित होकर निरस्त किये जाने योग्य है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट हीरासिंह व नानी देवी ने एक प्रार्थना–पत्र भरण पोषण हेतु नरेन्द्रसिंह व अपीलांट शीला के विरूद्ध प्रस्तुत किया जबकि हीरासिंह रेस्पोडेन्ट के दो पुत्र है जो नरेन्द्रसिंह व राजेन्द्रसिंह है। राजेन्द्रसिंह को अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया है, तथा हीरासिंह की एक पुत्री है उसे भी पक्षकार नहीं बनाया है। जबकि सम्पत्ति में सभी को हिस्सा बराबर–बराबर दे रखा है। अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली वास्ते तलबी हेतु 30.09.2016 को नियत थी और पत्रावली 14.10.2016 को नियत की गई थी। दिनांक 14.10.2016 को रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 ने आपसी दुर्भि–संधि करके जिस परिसर में अपीलांट निवास कर रही थी उसको खाली करवाने हेतु सहमति देकर पत्रावली में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 ने मिलाभगती से निर्णय पारित करवा लिया जबकि इस प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई हेतु कोई नोटिस/जमानती वारंट प्राप्त नहीं हुए है। इस प्रकार अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन कर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 ने आपसी मिलाभगती करके कुछ हिस्सेका अण्डर टेकिंग देकर अपीलांट के विरूद्ध निर्णय पारित करवा लिया जो न्यायिक सिद्धांतों के विपरित है।

इस पर हाजिर प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को स्वीकार किया। इसके पश्चात् हाजिर प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार कर दिनांक 19.09.2023 को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि पीठासीन अधिकारी (एसडीओ) चितौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 02/2016 निर्णय दिनांक 14.10.2016 को आपसी सहमति पारित हुआ। सीपीसी की धारा 96 (3) के अनुसार दोनों पक्षों की आपसी सहमति से निर्णय हुआ है इसलिए उक्त वाद की अपील नही हो सकती है। प्रकरण स्वअर्जित आय से रेस्टोडेन्ट में अपनी पत्नी स्वर्गीय श्रीमती नानी देवी के नाम पर सिविल न्यायालय की नीलामी में खरीदा जिसकी रजिस्ट्री 24.04.1982 को न्यायालय द्वारा सम्पन्न कराई गई। हिन्दु महिला की सम्पत्ति हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 के तहत वह सम्पत्ति की सम्पूर्ण मालिक थी। उक्त सम्पति पुश्तैनी न होकर स्वअर्जित सम्पत्ति जिसकी वह एक मात्र मालिक थी, इसमे किसी भी परिवार के सदस्य का हक अधिकार नहीं था। स्वर्गीय नानी देवी अपने मकान में से उत्तरी भाग 25 बाई 60 यानि 1500 वर्ग फुट अपनी पुत्रवधु हेमलता को बक्शीश कर रजिस्ट्री करा दी थी। नानी देवी ने हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 30 के तहत मकान का शेष भाग 15 बाई 60 यानि 900 वर्ग फीट को अपने पति हीरा सिंह उसके पश्चात् उनके 100 वर्ष पूरे होने पर इस भाग का मालिक राजेन्द्र सिंह होगा, अन्य किसी परिवार के सदस्यों का हक नहीं होगा क्योंकि यह सम्पति सहदायिकी नहीं है। नानी देवी ने अपने पुत्र नरेन्द्र सिंह को एक कमरा रहने के लिए दिया था,

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उसको एसडीओं साहब के उक्त निर्णय के तहत खाली करवाकर श्री हीरा सिंह एवं नानी देवी को सम्भलाने का आदेश दिया परन्तु नरेन्द्र सिंह शीला तथा दिशांक ने आदेश की अवहेलना करते हुए रेस्टोडेन्ट हीरा सिंह एवं उनकी पत्नी को बलपूर्वक घर से निकाल कर अवैध कब्जा कर निवासरत है। एसडीओं साहब ने थाना प्रभारी सदर थाना चित्तौड़गढ़ को आदेश की पालना सुनिश्चित करने का आदेश कई बार दिया गया परन्तु उन्होंने आज तक आदेश की पालना नहीं की। रेस्टोडेन्ट की पत्नी का स्वर्गवास दिनांक 08.04.2018 को हो जाने से रेस्टोडेन्ट अकेला रह गया। माता–पिता और वरिष्ठ नागरिको का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम की धारा 21, 22 के तहत यह जिम्मेदारी श्रीमान आपकी थी और है फिर भी आपने रेस्टोडेन्ट की आज तक सुरक्षा नहीं कराई और न मकान दिलवाया गया। अधिनियम की धारा 24 के तहत माता–पिता हीरा सिंह एवं नानी देवी को घर से बेघर कर दिया इसका आवेदन श्रीमान एसडीओ साहब को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया परन्तु उस पर कोई कार्यवाही नही करते हुए दोषियों को सजा नही दी गई अतः श्रीमान इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करे। रेस्टोडेन्ट ने अपने पुत्र नरेन्द्र सिंह को लाखों रूपये व्यय कर कई धन्धे खुलवाये परन्तु उसने सब को खुर्द–बुर्द कर बेच दिया। रेस्टोडेन्ट ने नीचे से लेकर उच्च अधिकारियों को अन्याय से बचाते हुए राहत देने का निवेदन किया परन्तु आज तक जान–माल की रक्षा नहीं की गई। शीला ने अपने पिता को एक मोटरसाईकिल अपने पुत्र दिशांक के नाम खरीद कर सम्भला रखी है जिसका उपयोग उनके द्वारा किया जा रहा है। रेस्टोडेन्ट द्वारा बनाई गई सम्पत्ति को शीला ने अपने पति नरेन्द्र सिंह पर दबाव डालकर बिकवा दी और उस राशि से अपने पीहर वालो के लिए एक बोलेरा जीप खरीद कर दी। शीला का पीहर माता–पिता भाई सभी अपराधिक प्रवृति के है जिनके विरूद्ध थाना मसुदा जिला अजमेर में दर्ज हुई उसके तहत पिता नारायण सिंह भाई राजेन्द्र सिंह को 42 दिन का कारावास उप–कारागृह ब्यावर में रहे। रेस्टोडेन्ट का एक ट्रेक्टर जिसको नरेन्द्र सिंह ने ऐक्सीडेन्ट कर दिया जिसका प्रकरण मुंसिफ न्यायालय बिजयनगर अजमेर मे चला। रेस्टोडेन्ट कि पुश्तैनी कृषि भूमि फतेहगढ तहसील मसुदा जिला अजमेर की कृषि उपज को भी बलपूर्वक अपने कब्जे में लेकर बेच दी जिसकी शिकायत पुलिस थाना मसुदा जिला अजमेर मे दर्ज करवाई गई। दिशांक और शीला ने रेस्टोडेन्ट के विरूद्ध उत्तराधिकार अधिनियम का दावा सिविल न्यायालय चितौड़गढ़ मे प्रकरण संख्या 065/2023 दर्ज करवाया जिसके लिए वे अधिकृत नहीं है केवल रेस्टोडेन्ट को परेशान करने का कार्य किया है। उक्त वाद बिन्दु 25 में नरेन्द्र सिंह ने एक झुठा काउन्टर क्लेम पेश किया जिसके लिए उसको किसी प्रकार का कोई विधिक अधिकार नही हैं। नरेन्द्र सिंह ने शीला के कहने पर रेस्टोडेन्ट द्वारा बनाई गई सम्पत्ति को निम्न प्रकार बेच कर खुर्द–बुर्द कर दिया गया हैं जो प्रार्थना–पत्र में वर्णित है। रेस्टोडेन्ट ने नरेन्द्र सिंह को पालपौस कर बड़ा किया उसकी शादी करवाई उसके लिए कई धन्धे खोले लेकिन सेवा के बदले रेस्टोडेन्ट के साथ दुर्व्यव्यवहार गाली गलौज थक्का–मुक्की बेइज्जती करते आ रहे है।शीला ने जबरदस्ती ने रेस्टोडेन्ट एवं उनकी पत्नी के मकान में अतिक्रमण कर मकान मे तोड–फौड की उसका मुकदमा मुंसिफ मजिस्ट्रेट चितौड़गढ़ प्रकरण संख्या 289/2016 का प्रकरण चला लेकिन राज्य सरकार ने वापस उठा लिया। शीला ने रेस्टोडेन्ट द्वारा नरेन्द्र सिंह के लिये बनाई गई सम्पत्ति को बिकवाकर पंजाब नेशनल बैंक मे लाखों रूपये अपने खाते में जमा कर रखे हैं। शीला ने अपने पति नरेन्द्र सिंह से कई लोगो से उधार लिये जिसके पेटे चैक दिये गये उनके मुकदमे चितौड़गढ़ न्यायालय

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

में कई मजिस्ट्रेटों के यहा मुकदमे चल रहे है। नरेन्द्र सिंह को चैको के मामले में उपस्थित न होने पर गिरफ्तार किया गया दिनांक 24.10.2022 से 28.12.2022 तक चितौड़गढ़ कारागृह मे बंद रहा। नरेन्द्र सिंह को चैक के प्रकरण में छः माह की सजा हुई उसमे रेस्टोडेन्ट एवं अपने पुत्र राजेन्द्र सिंह ने छुडवाया। दिशांक एवं शीला ने उत्तराधिकार प्रकरण संख्या सिविल न्यायालय 065/2023 में नरेन्द्र सिंह को मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया गया जबकि पूर्ण रूप से स्वस्थ है। नरेन्द्र सिंह ने उक्त प्रकरण में एक काउन्टर क्लेम पेश किया उसमे अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ बताया जिसका शपथ–पत्र लगा हुआ है। अधिनियम की धारा 17 मे वकील की पैरवी निषेध कर रखी है उसकी पालना न्याय हित में आवश्यक है। नरेन्द्र सिंह ट्रांसपोर्ट का धन्धा करता है, शीला कपडे की दुकान और सिलाई का कार्य करती है तथा दिशांक भी प्राईवेट नौकरी करता है। इस प्रकार तीनों की अच्छी खासी आय है। उसके उपरान्त भी रेस्टोडेन्ट को घर से बेघर कर लावारिस कर रखा है, जिसकी सजा अधिनियम की धारा 24 के तहत आप देने की कृपा करे। अतः रेस्टोडेन्ट का जवाब एवं काउन्टर क्लेम को स्वीकार फरमाकर अपीलार्थीगण एवं नरेन्द्र सिंह की अपील एवं काउन्टर क्लेम को खारिज कर रेस्टोडेन्ट को तत्काल मकान इनसे खाली करवाकर रेस्टोडेन्ट को सिपुर्द कर आदेश की क्रियान्विति करने की कृपा करावे। इसी ईल्तजा के साथ प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपना कथन समाप्त किया।

इस पर विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने बहस के रिवटल में बताया कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट के मध्य सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन है। अपीलांट व उसके पुत्र दीक्षांक चौधरी ने न्यायालय सिविल जज साहब के यहां मकान के हिस्से व बंटवाडे का दावा प्रस्तुत कर रखा है जो न्यायालय में विचाराधीन है। अपीलांट व रेस्पोडेन्ट के मध्य आपसी मुकदमेबाजी चल रही है। अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 पति पत्नी है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपीलांट का परित्याग कर रखा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से दुर्भि–संधि कर रखी है और रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 ने आपसी मिलाभगती करके अधीनस्थ न्यायालय में निर्णय पारित करवाया है। एक तरफा गुप्त रूप से बिना क्षेत्राधिकार के जो आदेश प्राप्त किया है वह विधि सम्मत नहीं है। किसी भी मकान भवन परिसर को खाली करवाने का अधिकार उपखण्ड मजिस्ट्रेट को नहीं है। यह अधिकार सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का बागौर अवलोकन किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावलियों का आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावलियों पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज का अवलोकन/परिशीलन कराया। उभयपक्षकारान द्वारा की गई बहस पत्रावल का चित्त मन से शांतिपूर्वक चिंतन–मनन किया। हमने माता–पिता और वरिष्ठ नागिरकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 का अवलोकन किया। अधिनियम 2007 के तहत व्यवस्था की गई है कि :–

4. Maintenance of parents and senior citizens.—

(1) A senior citizen including parent who is unableto maintain himself from his own earning or out of the property owned by him, shall be entitled to make an application under section 5 in case of —

(i) parent or grand-parent, against one or more of his children not being a minor;

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(ii) a childless senior citizen, against such of his relative referred to in clause (g) of section 2.

(2) The obligation of the children or relative, as the case may be, to maintain a senior citizen extends to the needs of such citizen so that senior citizen may lead a normal life.

(3) The obligation of the children to maintain his or her parent extends to the needs of such parent either father or mother or both, as the case may be, so that such parent may lead a normal life.

(4) Any person being a relative of a senior citizen and having sufficient means shall maintain such senior citizen provided he is in possession of the property of such citizen or he would inherit the property of such senior citizen:

Provided that where more than one relatives are entitled to inherit the property of a senior citizen, the maintenance shall be payable by such relative in the proportion in which they would inherit his property.

6. Jurisdiction and procedure. —

(1) The proceedings under section 5 may be taken against any children or relative in any district—
(a) where he resides or last resided; or
(b) where children or relative resides.

(2) On receipt of the application under section 5, the Tribunal shall issues aprocess for procuring the presence of children or relative against whom the application is filed.

(3) For securing the attendance of children or relative the Tribunal shall have the power of a Judicial Magistrate of first class as provided under the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).

(4) All evidence to such proceedings shall be taken in the presence of the children or relative against whom an order for payment of maintenance is proposed to be made, and shall be recorded in the manner prescribed for summons cases:
Provided that if the Tribunal is satisfied that the children or relative against whom an order for payment of maintenance is proposed to be made is willfully avoiding service, or willfully neglecting to attend the Tribunal, the Tribunal may proceed to hear and determine the case ex parte.

(5) Where the children or relative is residing out of India, the summons shall be served by the Tribunal through such authority, as the Central Government may by notification in the official Gazette, specify in this behalf.

(6) The Tribunal before hearing an application under section 5 may, refer the same to a Conciliation Officer and such Conciliation Officer shall submit his findings within one month and if amicable settlement has been arrived at, the Tribunal shall pass an order to that effect.

Explanation — For the purposes of this sub-section “Conciliation Officer” means any person or representative of an organisation referred to in Explanation to sub-section (1) of section 5 or the Maintenance Officers designated by the State Government under sub-section (1) of section 18 or any other person nominated by the Tribunal for this purpose.

16. Appeals.—

(1) Any senior citizen or a parent, as the case may be, aggrieved by an order of a Tribunal may, within sixty days from the date of the order, prefer an appeal to the Appellate Tribunal:

Provided that on appeal, the children or relative who is required to pay any amount in terms of such maintenance order shall continue to pay to such parent the amount so ordered, in the manner directed by the Appellate Tribunal:
Provided further that the Appellate Tribunal may, entertain the appeal after the expiry of the said period of sixty days, if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from preferring the appeal in time.

(2) On receipt of an appeal, the Appellate Tribunal shall, cause a notice to be served upon the respondent.

(3) The Appellate Tribunal may call for the record of proceedings from the Tribunal against whose order the appeal is preferred.

(4) The Appellate Tribunal may, after examining the appeal and the records called for either allow or reject the appeal.

(5) The Appellate Tribunal shall, adjudicate and decide upon the appeal filed against the order of the Tribunal and the order of the Appellate Tribunal shall be final:

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Provided that no appeal shall be rejected unless an opportunity has been given to both the parties of being heard in person or through a dully authorised representative.

(6) The Appellate Tribunal shall make an endeavour to pronounce its order in writing within one month of the receipt of an appeal.

(7) A copy of every order made under sub-section (5) shall be sent to both the parties free of cost.

17. Right to legal representation.—

Notwithstanding anything contained in any law, no party to a proceeding before a Tribunal or Appellate Tribunal shall be represented by a legal practitioner.

अधिनियम 2007 के अध्याय 2 माता–पिता और वरिष्ठो के कल्याण के प्रावधान प्रावधित किये गये है। अधिनियम की धारा 4 में प्राविधित किया गया है कि कोई वरिष्ठ नागरिक जिसके अन्तर्गत माता–पिता है जो स्वयं के अर्जन से या उसके स्वामत्वि संपत्ति में से व्यं का भरण पोषण करने में असमर्थ है आवेदन कर सकते है। अधिनियम की धारा 6 अधिनियम की धारा 4 के तहत प्रस्तुत आवेदनों की क्षेत्राधिकारिता एवं प्रक्रिया के संबंध में प्रावधान प्रावधित किये गये है। इसके साथ ही अधिनियम 2007 की धारा 16 में धारा 4 के तहत निस्तारित आवेदनों की अपील के प्रावधान प्रावधित है।

हस्तगत प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष अधिनियम की धारा 4 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधीनस्थ अधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा 6 व 8 में प्रावधित प्रक्रिया के आधार पर संक्षिप्त जांच कर अधिनियम की धारा 9 के तहत आदेश पारित किया गया है, जिसकी अपील से प्राधिकरण के समक्ष पेश है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ अधिकरण द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र दिनांक 14.10.2016 के आधार पर अपीलाधीन निर्णय आपसी सुलह के आधार पर पारित किया जाना प्रतिवेदन होता है। उक्त शपथ–पत्र अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है। हमने प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत शपथ–पत्र का अवलोकन किया। इस शपथ–पत्र में प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा स्वयं अधिकरण के समक्ष शपथ–पत्र के माध्यम से अण्डरटेकिंग प्रस्तुत किया जाना प्रमाणित पाया गया है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 उक्त आवासीय परिसर अपने पिता को सुपुर्द कर देगा। अधीनस्थ अधिकरण में प्रत्यर्थी संख्या 1 जो कि अपीलार्थीया का पति स्वयं उपस्थिति प्रदान कर शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त शपथ–पत्र के माध्यम से प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा प्रकरण में अपीलार्थीया अर्थात् मूल प्रकरण के विपक्षी संख्या 2 के संबंध में किसी भी प्रकार से कोई असहमति व्यक्त नहीं की गई है एवं अपीलार्थीया एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 के मध्य की किसी भी प्रकार के पारिवारिक विवाद का कथन नहीं किया गया है। इससे यह तथ्य इस अधिकरण के समक्ष निर्विवाद रूप से प्रमाणित पाया जाता है कि अपीलार्थीया को अधीनस्थ अधिकरण के निर्णय आदेश दिनांक 14.10.2016 की जानकारी रही है।

इसके साथ अपीलार्थीया एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा जो तथ्य पारिवारिक विवादों के संबंध न्यायालय के समक्ष उठाये गये है उन तथ्यों के संबंध में हमारा ठोस अभिमत है कि इन तथ्यों को हस्तगत अपील में देखा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इन तथ्यों के लिए उभयपक्ष सक्षम न्यायालय से चारागोही किये जाने हेतु स्वतंत्र है। इसके साथ ही अधिनियम 2007 की धारा 17 में विधिक अभ्यावेदन का अधिकार के प्रावधान प्रावधित है। अधिनियम की धारा 17में प्रावधित किया गया है कि किसी अन्य विधि में किसी बात के हेाते हुए भी अधिकरण या अपील प्राधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों के किसी पक्षकार का प्रतिनिधित्व

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

किसी विधि व्यवसायी द्वारा नहीं किया जाएगा। हस्तगत अपील इस प्राधिकरण के समक्ष विधि व्यवसायी के माध्यम से प्रस्तुत की गई है एवं विधि व्यवासायी के माध्यम से अपील प्रस्तुत किये जाने बाबत् अपीलार्थीया की और से कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत अपील आवेदन इस प्राधिकरण के समक्ष पोषणीय नहीं पाया जाना प्रतिवेदित होता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर न्यायालय हाजा में विचाराधीन राजस्व अपील प्रकरण संख्या 025/2023(रा.अ.) अनवानी श्रीमती शीला पत्नी नरेन्द्र चौधरी, जाति चौधरी, उम्र वयस्क, निवासी बी–105, प्रतापनगर, चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) बनाम नरेन्द्रसिंह पिता हीरासिंह जाति चौधरी, उम्र वयस्क, निवासी बी 105, प्रतापनगर, चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) वगैराह अपील अपीलार्थी बलहीन होकर सारहीन होने से नामंजूर की जाती है, एवं अधीनस्थ अधिकरण उपखण्ड मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.10.2016 की पुष्टि की जाकर निर्णय को यथावत रखा जाता है। अधिनियम की धारा 16 की उपधारा 7 के तहत निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि उभयपक्षकारान को तत्काल निःशुल्क उपलब्ध कराई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **19.12.2023** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(गौरव अग्रवाल)
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official